



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941

No. 307]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ASVINA 5, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2019

सं. 37 / 2015-2020

विषय: पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता बढ़ाने हेतु।

फा.सं. 01/53/8/एम/20/पीएसआईए-1/आईसी.—विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.55 (घ) में यथा-उल्लिखित प्रावधान में छूट देते हुए निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:-

विदेश व्यापार नीति (2015-20) के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता, जिनकी वैधता/विस्तारित वैधता 30.12.2019 तक है, को आगे 31.12.2019 तक बढ़ा दिया गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः ए एंड एनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा-सूचीबद्ध पूर्व पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता, जिनकी वैधता 30.09.2019 और 30.12.2019 के बीच समाप्त हो रही है, की वैधता को दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 27th September, 2019

No. 37 /2015-2020

Subject: Extension of validity of Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs)

F. No. 01/53/8/AM/20/PSIA-1/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-20), the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.55 (d) of the Handbook of Procedure, 2015-20, notifies as under:-

The validity of recognition of the Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) included in the Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy (2015-20) whose validity/extended validity is up to 30.12.2019 is extended up to 31.12.2019.

Effect of this Public Notice: Validity of the Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, whose validity expires between 30.9.2019 and 30.12.2019 is extended up to 31.12.2019.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Secy.